भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 377
24 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए

सैन्य छावनियों का विघटन

377. डा. वी. शिवादासन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में छावनियों को विघटित करने की कोई योजना है ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ग) क्या किसी छावनी को विघटित या सैन्य स्टेशनों में परिवर्तित कर दिया गया है ;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
(ड.) क्या के विघटन होने के बाद छावनी की जमीन पर कब्जा करने वाली रियल एस्टेट कंपनियों पर कोई प्रतिबंध है ?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) और (ख): छावनियों के सिविल क्षेत्रों और समीप के राज्य नगरपालिका क्षेत्रों को विनियमित करने वाले नगरपालिका कानूनों में एकरूपता लाने के प्रयोजन से , कतिपय छावनियों के सिविल क्षेत्रों को अलग करने और उनको समीपस्थक नगरपालिकाओं के साथ विलय करने पर विचार करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार , संबंधित राज्यस सरकारों के साथ प्रस्ताेवित पृथक्कतरण के व्या पक तौर-तरीकों को उनकी टिप्पिणियों हेतु साझा किया गया था।

(ग) एवं (घ): एक छावनी नामत: 'खास योल' की अधिसूचना दिनांक 27.04.2023 से रद्द की जा चुकी है।

(ङ): छावनी अधिनियम , 2006 की धारा 7 की उप-धारा (1) के अनुसार , ऐसा कोई स्था.नीय क्षेत्र, जो छावनी का भाग है , किसी विशिष्टो बोर्ड के नियन्त्र ण के अधीन नहीं रह जाता तथा किसी अन्यै स्था नीय प्राधिकरण के नियन्त्रीण के अधीन तुरन्तय कर दिया जाता है तब छावनी निधि या छावनी विकास निधि का ऐसा भाग और ऐसी अन्यन संपत्ति जो बोर्ड में निहित है और बोर्ड के दायित्वोंस का ऐसा भाग़ जो केंद्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्टन करे, उस अन्ये स्थाधनीय प्राधिकरण को अंतरित हो जाएगा।

***

•-• https://www.staffnews.in •-•

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF DEFENCE
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 377
TO BE ANSWERED ON 24th July, 2023

DISBANDING OF MILITARY CANTONMENTS

377 DR. V. SIVADASAN:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether Government has any plan to disband Cantonments in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any Cantonment has been disbanded or converted into military stations;

(d) if so, the details thereof; and

(e) whether there is any restriction on real estate companies taking over Cantonment land after it getting disbanded?

A N S W E R

MINISTER OF STATE (SHRI AJAY BHATT)
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(a) & (b): In order to bring uniformity in municipal laws governing civil areas of cantonments and adjoining State Municipal areas, it has been decided to consider excision of civil areas of certain Cantonments and merge them with neighboring municipalities. Accordingly, broad modalities for proposed excision have been shared with concerned State Governments for their comments.

(c) & (d): One Cantonment namely, Khas Yol has been de-notified w.e.f 27.04.2023.

(e): As per sub-section (1) of Section 7 Cantonments Act, 2006, whenever any local area forming part of a cantonment ceases to be under the control of a particular Board and is immediately placed under the control of some other local authority, such portion of the cantonment fund or the cantonment development fund and other property vesting in the Board and such portion of the liabilities of the Board, as the Central Government may, by general or special order, direct, shall be transferred to that other local authority.

*****

•-• https://www.staffnews.in •-•